न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– एल आर ए / 46 / 2017

उनवान

1. मांगीदेवी पत्नि स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. माधु पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. हजारी पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
के प्रकरण संख्या 3176/88 निर्णय दिनांक 20-7-93

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 24.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया संख्या 1 मांगी देवी ने दिनांक 27.1.1987 को करेडा परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया । तभी से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु 3–4 वर्ष बाद उक्त भूमि के बाबत अपीलार्थीया के पिता गोकल पिता नंदा तेली का नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी इंकारीनामा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ प्रस्तुत कर दिया जिसे अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली व परिवार वालों की कोई सहमति नहीं थी। उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अवैध रूप से उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 20.7.1993 को निरस्त कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी। अपीलार्थीया संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के पिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के उपरान्त अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी माण्डल कोर्ट करेडा में घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी प्रस्तुत किया जो खारिज होने से राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जो वहॉ विचाराधीन थी। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता / पति के नाम पर आवंटित की गई थी एवं उनके द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के ही आवंटन को निरस्त कर दिया इसलिए आवंटन बहाल करवाने हेतु अपीलार्थीगण ने जन –सुनवाई व पॉर्टल पर प्रकरण दर्ज कराये किन्तु कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 9.11.2016 को अपीलार्थीगण की ओर से पॉर्टल पर दर्ज प्रकरण को निरस्त कर दिया इसलिए आवंटन निरस्ती के आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 20.7.1993 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण की ओर से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की कानूनी जानकारी की अज्ञानता व अनभिज्ञता की वजह से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीया मांगीदेवी ने दिनांक 27.1.1987 को करेडा में परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। मौके पर कब्जा भी सुपुर्द किया गया । तभी से उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता/पति व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी इन्कारीनामा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत कर दिया जिसमें अपीलार्थीगण एवं उनके पिता/पति को सुनरवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन को दिनांक 20.7.1993 को खारिज कर दिया । इस कारण इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे खारिज कर दिया गया । आवंटन बहाली हेतु अपीलार्थीगण ने पॉर्टल पर प्रकरण दर्ज कराया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं प्रकरण को निरस्त कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया । इसलिए वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

5. अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थीगण के पिता/पति को अपीलार्थीया द्वारा नसबंदी कराये जाने के कारण प्रोत्साहन के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि आवंटन किया गया था । आवंटन कमेटी में स्वयं उपखण्ड अधिकारी जी थे इसलिए उनको वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आवंटन को जिला कलक्टर महोदय ही खारिज कर सकते हैं।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई तहकीकात नहीं की एवं न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया था। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्कारीनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया है जबकि उस पर कोई जांच नहीं की है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7. 1993 की अपील प्रस्तुत नहीं कर कब्जे व आवंटन के आधर पर घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। कानूनी जानकारी के अभाव में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.7.1993 समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी। इसलिए अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अपीलार्थीगण के पिता / पति गोकल आत्मज नंदा तेली ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा लेने से इंकार किया था। जब अपीलार्थीगण के पिता / पति ने कब्जा लेने से ही इंकार कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीया संख्या 1 मांगी देवी ने दिनांक 27.1.1987 को करेडा परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया । तभी से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आ रहा है। परन्तु 3–4 वर्ष बाद उक्त भूमि के बाबत अपीलार्थीया के पिता गोकल पिता नंदा तेली का नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी इंकारीनामा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ प्रस्तुत कर दिया जिसे अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली व परिवार वालों की कोई सहमति नहीं थी। उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अवैध रूप से उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 20.7.1993 को निरस्त कर दिया। जो विधिविरूद्ध है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता / पति को सुपुर्द गई हो। जहॉ तक अपीलार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त होने संबंधी कोई दस्तावेज जमाबंदी, जिन्स गिरदावरी की प्रतियॉ प्रस्तुत नहीं की है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा मौका का अवलाकन किया गया जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकित किया हुआ है कि " आज दिनांक 25.1.1992 को बसामलात मौतबिरान करेडा के अलोटी श्री गोकल पिता नन्दा तेली साकिन अमरपुरा का मौजा करेडा की आवंटन सुदा बिलानाम आराजी नम्बर 4380 में से रकबा 3 बीघा भूमि पैमूद करने पहूॅचा। उक्त भूमि मौके पर मगरी होने व काबिल काश्त नहीं होने से अलोटी ने भूमि सिपुर्दगी में लेने से इंकार किया । " उक्त मौका पर्चा पर स्वयं अपीलार्थीगण के पिता / पति गोकल के हस्ताक्षर है। एवं अन्य गवाहन मांगू व पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। जब आवंटित आराजी को पैमुदगी के समय ही अपीलार्थीगण के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता / पति द्वारा कब्जा प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को सुनवाई का किस प्रकार अवसर दिया जाना था ? अपीलार्थीगण ने जब कब्जा ही प्राप्त नहीं किया तो उस पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत होने से उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.7.1993 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा